

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर को कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल के सरोना परिक्षेत्र के ग्राम अंजनी में नारंगी वन भूमि ओ.ए. 417 एवं खसरा क्रमांक 472 के रकबा 4.66 हे. एवं खसरा क्रमांक 409 के रकबा 2.00 हे.; कुल रकबा 6.66 हे. वन भूमि संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 20 -09-2022

Place : Raipur

Name

Designation


(Manoj Kumar Pingua)
 Principal Secretary
 Government of Chhattisgarh
 Deptt. of Forest & Climate Change
 Mantralaya, Nawa Raipur
 C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-15/2022/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/09/2022

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015।

विषय: - कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु TRIBAL DEVELOPMENT KANKER द्वारा Establishment of Eklavya Modern Residential School, At Village Anjani, Tehsil-Narharpur, District North Bastar Kanker (C.G.) हेतु 6.66 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-920/2080, दिनांक 13.09.2022।

—00—

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है:-

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र - आवेदनकर्ता सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल के सरोना परिक्षेत्र के ग्राम अंजनी में नारंगी वन भूमि ओ.ए. 417 एवं खसरा क्रमांक 472 के रकबा 4.66 हे. एवं खसरा क्रमांक 409 के रकबा 2.00 हे.; कुल रकबा 6.66 हे. वन भूमि संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।	1 - 4
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) - वनमंडलाधिकारी कांकेर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक- FP/CG/SCH/153246/2022 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.03.2022 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18,000 रुपये कुल 24,000 रुपये जमा कराया गया है।	5
3	वन क्षेत्र का विवरण - प्रकरण में कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र सरोना परिक्षेत्र में वनखण्ड अंजनी के नारंगी वन भूमि कक्ष क्रमांक नारंगी वन भूमि ओ.ए. 417 एवं खसरा क्रमांक 472 के रकबा 4.66 हे. एवं खसरा क्रमांक 409 के रकबा 2.00 हे.; कुल रकबा 6.66 हे. में संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन हेतु वन भूमि प्रभावित हो रही है।	6 - 7
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण - प्रस्तावित क्षेत्र में गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	8
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोग्राफी 1:50,000 स्केल पर - प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है (डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक-31 में संलग्न है।	9

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप – वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।	
7	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव – प्रपत्र – 4 में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल के सरोना परिक्षेत्र में नारंगी वन भूमि ओ.ए. 417 एवं खसरा क्रमांक 472 के रकबा 4.66 हे. एवं खसरा क्रमांक 409 के रकबा 2.00 हे.; कुल रकबा 6.66 हे. वन भूमि संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन के गैर वानिकी कार्य के लिए प्रशासकीय लागत 20.00 करोड़ रु. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.4 है।	10 – 15 16 – 24
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप – कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल अंतर्गत संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि रकबा 6.66 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने विद्यार्थियों में शैक्षणिक मानसिक शारीरिक व सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परिक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप गठित एक उच्च स्तरीय स्वशासी, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा किया जा रहा है।	25 – 26
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र – प्रस्तावित वन भूमि के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	27– 28
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र – प्रस्तावित संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु प्रस्तावित नारंगी वन भूमि ओ.ए. 417 एवं खसरा क्रमांक 472 के रकबा 4.66 हे. एवं खसरा क्रमांक 409 के रकबा 2.00 हे.; कुल रकबा 6.66 हे. नारंगी वन भूमि की मांग न्यूनतम है तदनुसार वन मंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल का वचन पत्र संलग्न है।	29
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र – प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का वनमंडलाधिकारी, कांकेर एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	30
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) – आवेदित क्षेत्र में कांकेर वनमंडल अंतर्गत 30 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।	31 – 34
13	कास्ट/बेनीफिट एनालिसिस – परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।	35
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)–राजस्व वन क्षेत्र – प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यकता नहीं है।	36
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन क्षेत्र प्रस्तावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है।	37
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना – आवेदित वन भूमि 6.66 हे. के एवज में पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के दुगुकोंदल के राजस्व भूमि खसरा क्र.66 के रकबा 6.66 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वर्ष 2022–23 के प्रचलित दर से तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है।	38–67

रजि.

वि. क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र - आवेदित वन भूमि 6.66 हे. के एवज पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के दुगुकोंदल के राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 66 के रकबा 6.660 हे. राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	68 - 70
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण - वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	71 - 72
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण - वन मंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	73
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही - वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	74
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र - वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	75
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान - प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।	76
23	रिक्लेमेशन प्लान - प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	77
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) - प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	78
25	व्यवस्थापन प्लान - प्रकरण में किसी को भी उक्त क्षेत्र से हटाया नहीं जाना है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	79
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) - प्रपत्र-3 पर वनमंडलाधिकारी, कांकेर द्वारा दिनांक 25.06.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा दिनांक 08.08.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	80 - 93
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र - व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी कांकेर एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	94
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल के सरोना परिक्षेत्र में नारंगी वन भूमि ओ.ए.- 417 खसरा क्रमांक के रकबा 6.60 हे. वन भूमि संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन के गैर वानिकी कार्य हेतु सरपंच ग्राम पंचायत अंजनी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	95 - 126
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) - कांकेर जिले कुल वन भूमि 3686.685 वर्ग कि.मी. है।	127
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में - कांकेर वनमंडल अंतर्गत 126.569 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।	128

Rajin

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – कांकेर वनमंडल अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण में वन भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है।	129
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – कांकेर वनमंडल के सरोना परिक्षेत्र के ग्राम अंजनी में नारंगी वन भूमि ओ.ए. 417 एवं खसरा क्रमांक 472 के रकबा 4.66 हे. एवं खसरा क्रमांक 409 के रकबा 2.00 हे.; कुल रकबा 6.66 हे. अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	130
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	131
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 24.01.2022 को जारी किया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।	97–132–136
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि संबंधी कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर का दिनांक 25.02.2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण प्रस्ताव में संलग्न है।	137 ए
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	138
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	139 – 140
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it – सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल के सरोना परिक्षेत्र में नारंगी वन भूमि ओ.ए. खसरा क्रमांक 472 एवं 409 के रकबा 6.60 हे. वन भूमि संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालन के गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र में नारंगी वन भूमि की दशा पुनरुत्पादन की संभाव्यता के आधार पर पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं है।	141
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र वनमंडलाधिकारी, कांकेर एवं आवेदक संस्थान द्वारा दी गई है।	142
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	143
41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण – बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।	144 – 146
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	147

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण - लागू नहीं।	148
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण - प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।	149

प्रकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न: - प्रस्ताव 1 प्रति में।

Rejal
20/09/22
(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/09/2022

पृ.कमांक एफ-5-15/2022/10-2

प्रतिलिपि:-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़,।
- 2.मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 3.वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 4.सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Rejal
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ole